न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 55/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. डूले सिंह पिता डूंगर सिंह जी राजपूत, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. भीम सिंह पिता डूंगर सिंह जी राजपूत, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. भवानी सिंह पिता डूंगर सिंह जी राजपूत, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भागचन्द उर्फ भागा पिता मोड़ा जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/1. देवीलाल पिता स्वर्गीय भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती नारायणी पुत्री स्वर्गीय भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्वर्गीय भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती जानीबाई पुत्री स्वर्गीय भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती कमलाबाई पुत्री स्वर्गीय भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. देवीलाल पिता मोड़ा जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
आदेश जिला कलेक्टर उदयपुर दि.
30–05–2016 प्रकरण सं॰ 164/2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 10–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसील कुराबड़ के न्यायालय में अपीलान्टगण/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध प्रकरण संख्या 1/12 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिशवी में प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी नंबर 370, 372 से 380, 389 से 391, 416 कुल किता 14 रकबा 2.7750 स्थित होकर प्रार्थीगण का अपने बाप–दादाओं के समय से काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आराजी नंबरों में से केवल 416 नंबर की आराजी के अलावा सभी आराजियात एक चक में हैं। आराजी नंबर 416 व दूसरी आराजी नंबर 384 जो बिलानाम काबिल काश्त है, में से आराजी नंबर 512/416 में से होकर हम प्रार्थीगण अपने बाप–दादाओं के समय से अपनी भूमि पर आ जा रहे हैं। आराजी नंबर 384 रकबा 1.31 हैक्टर किस्म मगरी में से 0.4000 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 भागचन्द को आवंटित होकर उसके नये नंबर 549/384 डाले गये। उक्त भूमि पर विपक्षीगण जैसे ही कब्जा करने लगे तो हम प्रार्थीगण ने रास्ता खुलवाने के लिए पंचायत में आवेदन पेश किया, जिस पर विपक्षी संख्या 1 की भूमि के उत्तर दिशा में 8 फिट का रास्ता छोड़ते हुए विपक्षीगण को पाबन्द किया गया, परन्तु विपक्षीगण की नियत में पुनः खोट आ जाने से बाले–बाले रास्ते की भूमि को अपनी भूमि में मिला लिया एवं रास्ता बन्द कर दिया। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ता बन्द होने के बाद प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया, जो विचाराधीन है। उक्त वाद में काफी लम्बे समय से कोई कार्यवाही नहीं होने से आप न्यायालय में रास्ता खुलवाये जाने हेतु उक्त आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अतएवं उक्त रास्ता खुलवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण में पंचायत का मूल क्षेत्राधिकार होने से 45 दिवस बाद दिनांक 28–02–2012 को अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कुराबड़ के यहां प्रकरण में सुनवाई प्रारम्भ हुई।

विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण आराजी नंबर 416 का रास्ते के रूप में उपयोग करने का तथ्य गलत है, बल्कि प्रार्थीगण बाठेडा से पिण्डोलिया जाने वाले मार्ग जिसमें आराजी नंबर 423 है, में से होकर आराजी नंबर 500/411 में से होकर आराजी नंबर 512/416 में होकर अपनी खाते की आराजी नंबर 416 में जा रहे हैं। आराजी नंबर 384 व 549/384 में से कोई रास्ता न कभी पूर्व में था, न ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी नंबर 416 में जाने हेतु वर्तमान में तीन रास्ते उपलब्ध हैं।

विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने रंजिशवश आवेदन पेश किया है। प्रार्थीगण आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है। विशेष कथन की कलम संख्या 3, 4, 5 में आराजी नंबर 416 में जाने हेतु तीन रास्ते उपलब्ध होना बताया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण की साक्ष्य ली तथा मौके की जांच करने के बाद अपने निर्णय दिनांक 16–07–2012 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने जिला कलक्टर उदयपुर के न्यायालय में अपील संख्या 30/12 पेश की, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26–03–2013 से पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में जांच रिपोर्ट दिनांक 10–10–2008 एवं 05–07–2012 में विरोधाभाष होने के कारण अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण उप तहसीलदार कुराबड़ को पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्रकरण संख्या 2/13 दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षों को सुनने के बाद पटवारी हल्का शिशवी की रिपोर्ट प्राप्त कर अपने निर्णय दिनांक 12–08–2014 से पुनः आवेदक/अपीलान्ट का आवेदन खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा पुनः एक अपील जिला कलक्टर उदयपुर के न्यायालय में अपील संख्या 164/14 पेश की, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 30–05–2016 से अपीलान्ट/प्रार्थीगण की अपील खारिज कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 30–05–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 28–07–2016 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अपील अपीलान्ट स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करने की प्रार्थना की। वही वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एंव विधि के विपरीत है। मौके पर 8 फिट रास्ता दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है तथा रेस्पोन्डेन्ट ने 8 फिट रास्ता छोडने की सहमति दी तथा उनकी सहमति से 8 फिट रास्ता मौके पर रेस्पोन्डेन्टगण, सरपंच, पटवारी, इन्सपेक्टर, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा एवं आम जनता की उपस्थिति में रास्ता कायम किया गया है, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण की नियति खराब हो जाने से उक्त रास्ता बन्द कर दिया है। उक्त रास्ते के संबंध में पक्षकारों के मध्य दिनांक 31–10–2007 को समझौता हुआ, उक्त महत्वपूर्ण समझौते को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। फोटोग्राफ में मौके के निशानात मौजूद थे, जिन्हें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन पर बहस हेतु दिनांक 19–10–2015 के लिए नियत थी तथा दिनांक 08–12–2015 की आदेशिका अनुसार विपक्षीगण द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का जवाब भी पेश किया गया है। इसके पश्चात पत्रावली बहस में विचाराधीन थी। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–05–2016 को जो आदेश जारी किया है, उसमें आदेश 41 नियम 27 जा. दी. के आवेदन पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अपीलान्ट का यह कथन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन पर बहस नहीं सुनी गयी तथा मूल अपील

पर भी बहस नहीं सुनी गयी। इसको यदि नहीं माना जाये तो भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन पर अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा साक्ष्य रेकार्ड पर रखे जा सकते हैं अथवा नहीं तथा इन साक्ष्यों को यदि रेकार्ड पर लिया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना प्रकट नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व प्रकरण संख्या 30/12 में इसी प्रकरण में प्रतिप्रेक्षण आदेश दिया था तथा अब इन्हीं तथ्यों के स्थान पर अत्यन्त संक्षिप्त निर्णय पारित करते हुए वाद सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया कि पक्षकारों के मध्य जो आपसी समझौता हुआ था वह किसी न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट बिलानाम एवं विपक्षी की खातेदारी भूमि में रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। स्पष्टतया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा पूर्व में हुए राजीनामा, जिसमें समस्त राजस्व कर्मियों सहित उपखण्ड अधिकारी भूमि मौजूद थे, उस राजीनामें को इस आधार पर अमान्य कर दिया है कि वह किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है। उक्त राजीनामा होने की ताईद विपक्षीगण भी करते हैं, परन्तु वह इसे दबाव में किया जाना बताते हैं। मौके पर पूर्व में रास्ता उपलब्ध था अथवा नहीं इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट/प्रार्थीगण को सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया गया है एवं उपलब्ध साक्ष्यों का भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है, तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय को तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर की अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 30–05–2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगण रहते हुए प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10–09–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर